(iii) अधिगमकर्ता की विशेषताएं

शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता का प्रमुख स्थान है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तभी सफल हो सकती है जब बालक का सर्वांगीण विकास हो। यह केवल पाठ्यचर्या (Curriculums) द्वारा ही सम्भव है।

प्रत्येक विद्यार्थी में उसकी वैयक्तिक भिन्नता रुचियों, आवश्यकताओं, तथा क्षमताओं के आधार पर पायी जाती है। अतः पाठ्यक्रम निर्माण ऐसा हो कि ये सभी भिन्न-2 बालक बिना रुकावट के अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकें। अधिगमकर्ता की विशेषताओं के आधार पर ही "बाल केन्द्रित शिक्षा" का प्रसार हुआ है। क्योंकि बाल (Student) निष्क्रिय वस्तु न होकर सक्रिय व जिज्ञासु व्यक्ति है।

प्रत्येक आयु स्तर पर बाल की शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक क्षमता घटती-बढ़ती रहती है अतः पाठ्य योजना बड़ी ही सावधानी पूर्वक निर्मित करनी चाहिए वह प्राथमिक स्तर की हो या उच्च स्तर की अधिगमकर्ता (Learner) ही महत्वपूर्ण है।

Scanned with CamScanner

शिक्षकों के अनुभव व शिक्षण विधि

पाठ्यक्रम के विकास हेतु शिक्षकों के अनुभव (Experience) भी रचनात्मक योगदान देते हैं। यद्यपि पाठ्यचर्या रचना में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले शिक्षकों की संख्या बहुत कम है जबकि लागू करने वालों में शिक्षकों का योगदान महत्वपूर्ण है।

यही वजह है कि शिक्षकों को 'पाठ्यक्रम रचनाकार' की बजाए पाठ्यचर्या का 'वाहक' माना जाता है। विद्यालय आधारित पाठ्यक्रम विकास का विचार लोकप्रिय हो रहा है। राष्ट्र को शिक्षकों के अनुभवों पर पाठ्यचर्या निर्माण के लिए और विश्वास करना चाहिए।

पाठ्यचर्या निर्माण में चूंकि शिक्षक प्रभावशाली कार्यकर्ता है। इसलिए उपयुक्त, पर्याप्त शिक्षक प्रशिक्षण जरूरी है। प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से दोनों तत्वों शिक्षण प्रविधि, और मूल्यांकन प्रक्रिया को शामिल करना होगा।

Scanned with CamScanner

(V) <u>आलोचनात्मक मुद्दे</u>

(Critical Issues)

(i) पर्यावरणीय मुद्दे (Enviromental Issues)
(ii) लैंगिक भेद (Grender Issues)
(iii) समावेशन (Inclusiveness)
(iv) मूल्य सम्बन्धी मुद्दे (Value, Issues)
(v) सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

<u>पर्यावरणीय मुद्दे</u>

(Enviromental Issues)

निरन्तर बढ़ता हुआ पर्यावरण प्रदूषण एक चिन्त्य विषय है अतः सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण को पाठ्यचर्या मे स्थान अवश्य देना चाहिए। इसी प्रकार NPE 1986 ने पाठ्यचर्या रूपरेखा संकल्पना करते हुए पर्यावरण संरक्षण को स्थान दिया है। प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक वन संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनो का संरक्षण व प्राकृतिक सन्तुलन से सम्बन्धीत विषय वस्तु को पाठ्यक्रम में शामिल करके उन्हे जागरुक किया जाये।

इसी क्रम मे स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में किसी एक वर्ष पर्यावरण का पेपर देना होता है। तथा (JNU) दिल्ली ने "पर्यावरण जैव विज्ञान" नामक विषय को शुरू किया है।

(iii) लैंगिक भेद
(Gender Difference)

लिंग के आधार पर समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 मे महिलाओ की समानता एवं सशक्तिकरण की शिक्षा का स्पष्ट वर्णन है।

अतिरिक्त विद्यालयीय पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तको, और उन्हे पढाने की प्रक्रिया से सभी प्रकार के लैंगिक भेदभाव और लैंगिक पूर्वाग्रह को मिटाना अत्यन्त आवश्यक है।

स्पष्ट हो चुका है कि विभिन्न कक्षाओं की पाठ्य पुस्तको की पाठो में विशेषत: भाषा आधारित पाठ्य पुस्तकों में लिंग आधारित उपेक्षाएं मलग्न है। इस लैंगिक भेदभाव को मिटाते हुए शिक्षको को भी प्रयास करने होंगे। लड़कियों के उत्साहवर्धन हेतु विद्यालय स्तर पर "Intervention Programme" किये जा सकते हैं।

Scanned with CamScanner